निगरानी प्र० - 1252/2012

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र०क्र० /2012 पुनरीक्षण - 1252 PBR/12

1- बिन्नीबाई पत्नी भूरा/पुत्री कोमलिया कलावत निवासी ग्राम बल्ली तहसील आरोन जिला गुना

2- मोहरसिंह उर्फ मुन्ना पुत्र कोमलिया कलावत निवासी ग्राम महुआखेडी कुलुआ तहसील सिरोंज जिला विदिशा

------ आवेदकगण

विरूद्ध

मालगुजार पुत्र पन्नालाल बेडिया निवासी ग्राम महुआखेडा पृथ्वीराज कुलुआ तहसील सिरोंज जिला विदिशा ------ अनावेदक

अनुविभागीय अधिकारी, सिरोंज जिला विदिशा व्दारा प्रकरण क्रमांक 54/अपील/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 9-4-2012 के पुनरीक्षण हेतु आवेदन अन्तर्गत धारा-50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959.

श्री ... द्वारा आज दि. 07-05-12 को प्रस्तुत
रीडर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

महोदय,

आवेदकगण निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते हैं :-

(1) यह कि अनुविभागीय अधिकारी महोदय का संलग्न विवादित आदेश विधि विपरीत तथा अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) यह कि अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार के अभिलेख पर आधारित, सकारण एवं न्यायसंगत आदेश को निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है ।

--- 2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1242-पीबीआर/12 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश बेलापुलकर एवं **अना**वेदक अधिवक्ता श्री आर.के. उपाध्याय उपस्थित। आवेदक की **ओर** से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के **विरुद्ध** प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित **संहिता** की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत **अनुविभा**गीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई **कलेक्टर** द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु **कलेक्टर** को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु **दिनांक** 20-12-18 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। (3) **प्रशासकीय सदस्य**	